

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2015/

दिनांक:- / /2015

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नारायण पिता गोपी नि.  
रोजडा प.ह. बुम्बडिया के राजस्व ग्राम रोजडा में जमाबन्दी संवत् 2078-2081

की खाता संख्या 125 में जमति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जमति/नाम नारायण किये जाने की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक जमति/नाम नारायण का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जमति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

*Reddy*  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2015/ 1053

दिनांक:- / /2015

निमित्त,

पटवार हल्का बुम्बडिया

18/12/25

विषय:-सम्मानजनक जमति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री नारायण पिता गोपी  
राजस्व ग्राम रोजडा प.ह. बुम्बडिया की खाता संख्या 125 में  
जमति/नाम नारायण दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जमति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशाषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नारायण पिता गोपी की  
जमति/नाम नारायण एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. बुम्बडिया राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

1 प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ